



GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

341  
Regional Office, Western Region.  
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"  
"Kendriya Paryavaran Bhavan"  
लिंक रोड नं०-3/Link Road No-3  
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar  
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन- 2466525, 2463102, 2465054, 2465496  
तार /Telegram: CENTFOREST  
अणुडाक /E-mail: rccfwr@sancharnet.in

क्रमांक: 8बी/83/97-एफसीडब्ल्यू/ 1186

आनक क्र. 126/10/3/02  
दिनांक 24/5/03

फोन- 2466525, 2463102, 2465054, 2465496  
तार /Telegram: CENTFOREST  
अणुडाक /E-mail: rccfwr@sancharnet.in  
दि. 21-5-2003.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन),  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग,  
वल्लभ भवन, भोपाल ।

R  
SUNO  
2

विषय: देवास जिले में महीगांव जलाशय के लिए 4.879 है० वनभूमि का प्रत्यावर्तन ।

- संदर्भ: 1. इस कार्या० का पत्रांक 8बी/83/97-एफसीडब्ल्यू/359 दिनांक 20.02.1998  
2. मु०व०सं०(भू-सर्वे),म०प्र० का पत्रांक एफ-3/3/84/10-11/1653 दिनांक 23.3.2002 तथा  
समसंख्यक पत्र दिनांक 03.04.2003

महोदय,

कृपया अपने उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/50/97/10/3 दिनांक 28.05.1997 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म०प्र० शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से देवास जिले के देवास वनमण्डल में महीगांव जलाशय के लिए 4.879 है० वनभूमि के वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- 2.अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर सर्वे क्रमांक 10 व 11 ग्राम हास्याखेड़ी, देवास की 4.88 है० गैर वनभूमि पर इप पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अन्दर वृक्षारोपण किया जायेगा ।  
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाएगा ।
3. FRL-4M लेवल के नीचे ही पेड़ काटे जायेंगे ।
4. नहर के दोनों ओर उपयोगकर्ता के खर्चे पर पेड़ लगाये जायेंगे ।
5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

भवदीय,

26/5/03

(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

50/37  
28/5

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, म0प्र0 शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल, देवास (म0प्र0) ।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास (म0प्र0) ।
5. आदेश पत्रावली

(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

HP/Kartikey/order/lirri/1-2